न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2015/208** दायर दिनांक **03.11.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. आलम अली खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तुलछाराम पुत्र हुकमाराम 2. रूघनाथराम पुत्र हुकमाराम 3. रामचन्द पुत्र हुकमाराम 4. नेमीचन्द पुत्र हुकमाराम 5. पूसाराम पुत्र गोरधनराम समस्त जाति सुनार निवासी नुवां तहसील डीडवाना 6. फुले खां पुत्र नजीर खां 7. उम्मेद खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी बेरीखुर्द 8. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक **29.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षप्त में इस प्रकार है कि वादी ग्राम बेरी खुर्द के मूल निवासी है तथा सरहद नुवां के खेत खसरा सं0 128 रकबा 18.13 बीघा में से वादी व प्रतिवादी सं0 06 व 07 ने दिनांक 27.10.1971 को प्रतिवादी सं0 01 पूसाराम पुत्र गोरधनराम से खरीद किया था खरीद के बाद से आज दिन तक खेत खसरा सं0 128 रकबा 18.13 बीघा पर वादी व प्रतिवादी सं0 06 व 07 का कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी सं0 06 व 07 को परफोरमा डिफेनेट बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 01 ता 06 की खातेदारी में उक्त दर्ज खेत खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा भूमि पारिवारिक बंटवारा मौखिक तौर से भौतिक रूप से प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की संयुक्त सहमति से परस्पर बातचित राय मशवरा कर पारिवारिक बंट में उक्त खसरा नं0 128 सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी सं0 01 पुसाराम के बंट में आकर भौतिक रूप से कब्जा काश्त में आ गई, जिस कारण उक्त सम्पूर्ण खसरा को प्रतिवादी सं0 01 ने वादीगण को दिनांक 27.10.1971 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान क्रमांक 469/71 दिनांक 27.10.1971 बतौर प्रतिफल 4500/— रू0 के एवज में उक्त सम्पूर्ण खसरा वादीगण को बेचान कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त वादीगण को सुपुर्द कर दे दिया, उक्त बाबत रजिस्ट्रर्ड बेचान व सम्पूर्ण खसरा वादीगण को कब्जा काश्त स्वामित्व सुपुर्द करने में प्रतिवादी सं0 01 ने प्रतिवादी सं0 02 ता 05 से मौखिक सहमति प्राप्त कर ली थी। उक्त रजिस्ट्री दिनांक 27.10.1971 का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया जिस कारण त्रृटिवंश रेकॉर्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी चली आ रही है, नकल रजिस्ट्री बैचाण दिनांक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागोर)

Web Copy - Not Original
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/208
दायर दिनांक 03.11.2015, निर्णय दिनांक 29.06.2015
आलम अली खां बनाम तुलछाराम, वगैरा।

27.10.1971 व खतौनी खसरा नं0 128 वाद के साथ पेश है। इस बाबत स्वयं खातेदार हुकमाराम के पुत्र रामचन्द्र ने अपने काका पूसाराम के विरूद्ध एक दावा माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना में 30.01.1998 को प्रस्तुत किया था जिस दावा में वादी ने खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा पर पूसाराम का कब्जा काश्त बताया है तथा प्रार्थना वादी में प्रतिवादी सं0 01 पूसाराम का बंटवारा घोषित करने का निवेदन किया।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद नुवां के खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी वादी की घोषित की जाकर उक्त अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो तथा प्रतिवादीगण सं0 01 से 05 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर वास्त जवाबदेही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से वकालतनाम पेश करने हेतु श्री शिवभगवान चौधरी अधिवक्ता ने अन्डर टेंकिन दी। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का वकालतनाम आज दिनांक तक पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 02 ता 08 बावजुद सूचना के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बेरी खुर्द में पेश हुई। वादी आलम अली मजमें आम में उपस्थित। वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 27.10.1971 को वाके सरहद नुवां के खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा क्रय की है। पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार खातेदारी अधिकार देना उचित प्रतीत होता है। अतः तर्कों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रकेर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद नुवां के खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 06 व 07 की घोषित की जाती है तथा उक्त खसरा में से प्रतिवादीगण सं0 01 से 05 का नाम खातेदारी से हटाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **29.06.2017** को न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बेरी खुर्द में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/208 दायर दिनांक 03.11.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. आलम अली खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तुलछाराम पुत्र हुकमाराम 2. रूघनाथराम पुत्र हुकमाराम 3. रामचन्द पुत्र हुकमाराम 4. नेमीचन्द पुत्र हुकमाराम 5. पूसाराम पुत्र गोरधनराम समस्त जाति सुनार निवासी नुवां तहसील डीडवाना 6. फुले खां पुत्र नजीर खां 7. उम्मेद खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी बेरीखुर्द 8. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 29.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद नुवां के खसरा सं0 128 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 06 व 07 की घोषित की जाती है तथा उक्त खसरा में से प्रतिवादीगण सं0 01 से 05 का नाम खातेदारी से हटाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प बेरी खुर्द में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner